कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

क्रमांक : सहायता / सिचाई / 2020 / 1364 दिनांक 16/07/2020

प्रेषितिः–

शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन,सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग राज0
जयपुर

विषयः– अधि0अभियन्ता चम्बल परियोजना कोटा कोटा द्वारा एस0डी0आर0एफ0मद से करवाये गये 14 कार्यो के बजट के आवन्टन बाबत ।

प्रसंगः– अधि0अभियन्ता चम्बली परियोजना खण्ड कोटा का पत्र कमांक 614 दिनांक 15.6.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अधिशाषी अभियन्ता चम्बल परियोजना खण्ड कोटा द्वारा आलनियॉ मध्यज सिचाई परियोजना के बान्ध व नहरा के रेस्टोशन के 14 कार्यो के लिए विभागीय बेबसाई पर ऑन लाईन दिनांक 27.01.2020 को बजट रूपये 50.80 लाख का आवन्टन किया गया था । जिसकी इस कार्यालय द्वारा वित्तिय स्वीकृति कमांक 320 दिनांक 06.02.2020 से जारी की गई थी । परन्तु उक्त बजट का माह मार्च में कोविड 19 के कारण तैयार नही करवाये जा सके। जिस कारण उक्त बजट का उपयोग नही हो सका। .

अतः कृपया पूर्वानुसार 50.80 लाख रूपये का निम्न मद में बजट आवन्टन करने का श्रम करे।

2245–प्राकृतिक चिपत्ति के कारण राहत
02– बाढ चक्रवात आदि
122–खराब सिचाई तथा बाढ नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यो की मरम्मत तथा पुनःस्थापना
(02)–बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता
(01)–बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्व

भवदीय,

अति0 जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक : सहायता / सिचाई / 2020 / 1364 दिनांक 16/07/2020
प्रतिलिपी अधिशाषी अभियन्ता चम्बल परियोजना खण्ड कोटा को सूचनार्थ

अति0 जिला कलक्टर,
कोटा

Scanned with CamScanner

78

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) कोटा

क्रमांक सहायता/बाढ/2019/ 60 दिनांक 06-01-2020

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2019 में बाढ से अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियां (लघु/मध्यम/वृहद परियोजनाऐं) की तात्कालिक मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु पत्र क्रमांक/अ.अ./च.प./तकनिकी/फा/2019/2401 दिनांक 19.09.2019 द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव एवं संयुक्त शासन, सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(8)आ प्र एवं सहा/प्रस्ताव/बाढ/19/10616–19 दिनांक 06.12.19 के कम में अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निम्नांकित कुल 14 कार्य राशि रूपये 50.80 लाख की तात्कालीक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्ययधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी :–

अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण (लघु/मध्यम/वृहद परियोजनाऐं)	स्कीम का विवरण मय लोकेशन	तकनीकी स्वीकृति राशि लाखों में	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक
1	2	3	4	5	6
1	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर आर.डी. 0 चैन से 50 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा पं0सं0 लाडपुरा	1.80	46/19–20
2	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर आर.डी. 150 चैन से 350 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा पं0सं0 लाडपुरा	7.20	50/19–20
3	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य. नहर की किशनपुरा ब्रांच आर.डी. 245 चैन से 310 तक के मध्य	ग्राम पंचायत गन्दीफली पं0सं0 लाडपुरा	2.24	40/19–20
4	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर की किशनपुरा ब्रांच की अभयपुरा माईनर आर.डी. 30 चैन से 100 तक के मध्य	ग्राम पंचायत जाखोडा पं.सं. लाडपुरा	2.52	45/19–20
5	लाडपुरा	आलनियां दांयी मुख्य नहर की किशनपुरा ब्रांच की गन्दीफली माईनर आर.डी. 10 चैन से 70 तक के मध्य	ग्राम पंचायत गन्दीफली पं.सं. लाडपुरा	2.16	44/19–20
6	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर की मवासा माईनर आर.डी. 0 चैन से 50 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा पं. सं. लाडपुरा	1.80	53/19–20
7	लाडपुरा	आलनियां दांयी मुख्य नहर की बडोदिया माईनर आर.डी. 5 चैन से 100 तक के मध्य	ग्राम पंचायत बडोदिया पं.सं. लाडपुरा	3.42	41/ 19–20
8	लाडपुरा	आलनियां दांयी मुख्य नहर आर.डी. 10 चैन से 130 तक के मध्य	ग्राम पंचायत दीपपुरा पं. सं. लाडपुरा	3.96	43/19–20
9	लाडपुरा	आलनिया बांयी मुख्य नहर आर.डी. 10 चैन से 130 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा पं. सं. लाडपुरा	4.32	48/19–20
10	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर की किशनपुरा ब्रांच आर.डी. 0 चैन से 245 तक के मध्य	ग्राम पंचायत गन्दीफली पं.सं. लाडपुरा	8.82	47/19–20
11	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर आर.डी. 50 चैन से 150 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा प. सं. लाडपुरा	1.80	52/19–20
12	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर आर.डी. 350 चैन से 560 तक के मध्य	ग्राम पंचायत सनियानी पं.सं. लाडपुरा	7.56	49/19–20
13	लाडपुरा	आलनिया डेम एप्रोच रोड	ग्राम पंचायत आलनिया पं0सं0 लाडपुरा	2.10	42/19–20
14	लाडपुरा	आलनिया डेम एम्बेकमेंट	ग्राम पंचायत आलनिया पं.सं. लाडपुरा	1.00	51/19–20
		योग		50.80	

C:\Users\relief\Desktop\ROAD REPAIR 2019\os\Road repair 2019 FS.doc

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्य कराने में निम्न शर्तो की पालना की जावें :-

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं की मरम्मत केवल उन्ही की जावे, जिन परियोजनाओं की क्षति बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ से हुई है जिससे सामान्य जन-जीवन को बाधित होने से परियोजनाओं की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
2. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है ।
3. कार्यकारी ऐजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PWD & AR के अनुसार मान्य होगी ।
4. विभाग द्वारा प्रति स्कीम दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना उन दरो से अधिक राशि का उपयोग परियोजनाओं की मरम्मत पर न करें।
5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
6. प्रस्तावों में उन्ही परियोजनाओं की मरम्मत करवाई जावे जो मरम्मत कार्य द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
7. वे परियोजनाऐं जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।
8. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
9. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय मे बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष मे भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें । अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरांत ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
11. कार्यकारी ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त परियोजनाओं की मरम्मत एवं पुर्नरूद्वार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.08. 2019 द्वारा गणना की जावे।
12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
13. स्वीकृति मे दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा मे ही किया जावे । उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
14. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
15. उक्त स्वीकृति के विरूद्व क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के केवल रिपेयर एवम् रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे, नया निर्माण कार्य नही करवाया जावे ।
16. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिर्पोट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदडों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है । तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा ।
17. राशि का व्यय सामान्य वित्तीय लेखा नियमों S.D.R.F के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
18. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्यम कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक/सहायता/बाढ़/2019/ 60-65

दिनांक 06-01-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय कोटा संभाग कोटा
3. अधीक्षण अभियन्ता चम्बल परियोजना कोटा कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी कोटा/तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
5. अधिशाषी अभियन्ता चम्बल परियोजना खण्ड कोटा

जिला कलक्टर,
कोटा

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) कोटा

क्रमांक सहायता/बाढ/2019/ 320 दिनांक 06-02-2020

वित्तीय–स्वीकृति

मानसून वर्ष 2019 में बाढ से अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा की क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियां (लघु/मध्यम/वृहद परियोजनाऐं) की तात्कालिक मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु पत्र क्रमांक/अ.अ./च.प./तकनिकी/फा/2019/2401 दिनांक 19.09.2019 द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा सहित प्राप्त प्रस्ताव एवं **संयुक्त शासन, सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ–8(6)आ प्र एवं सहा/प्रस्ताव/बाढ/19/10616–19 दिनांक 06.12.19** के क्रम में अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निम्नाकिंत कुल 14 कार्य राशि रूपये 50.70 लाख की तात्कालीक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सहायता/बाढ़/2019/60 दिनांक 06.0.2020 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा की तकनीकी स्वीकृति अनुसार आपदा प्रबन्धन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की विभागीय वैबसाइट पर ऑन लाईन बजट मांग किये जाने पर पत्र क्रमांक एफ–2(1)(24)RC/acct/budget/2019-20 दिनांक 27.01.2020 से रुपये 50.70 लाख का बजट आंवटन प्राप्त हुआ है।

अतः अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतिया एंव विभाग से आंवटित बजट रुपये 50.70 लाख के निम्न क्षतिग्रस्त कार्यो की Repair & Restoration एस.डी.आर.एफ मद से कराये जाने हेतु निम्न शर्तो के अध्ययधीन एतद द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी :–अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा

क्र. सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण (लघु/मध्यम/बृहद परियोजनाऐं)	स्कीम का विवरण मय लोकेशन	तकनीकीस्वीकृति राशि लाखों में	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक
1	2	3	4	5	6
1	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर आर.डी. 0 चैन से 50 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा पं0सं0 लाडपुरा	1.80	46/19–20
2	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर आर.डी. 150 चैन से 350 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा पं0सं0 लाडपुरा	7.20	50/19–20
3	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर की किशनपुरा ब्रांच आर.डी. 245 चैन से 310 तक के मध्य	ग्राम पंचायत गन्दीफली पं0सं0 लाडपुरा	2.24	40/19–20
4	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर की किशनपुरा ब्रांच की अभयपुरा माईनर आर.डी. 30 चैन से 100 तक के मध्य	ग्राम पंचायत जाखोडा पं.सं. लाडपुरा	2.52	45/19–20
5	लाडपुरा	आलनियां दांयी मुख्य नहर की किशनपुरा ब्रांच की गन्दीफली माईनर आर.डी. 10 चैन से 70 तक के मध्य	ग्राम पंचायत गन्दीफली पं.सं. लाडपुरा	2.16	44/19–20
6	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर की मवासा माईनर आर.डी. 0 चैन से 50 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा पं. सं. लाडपुरा	1.80	53/19–20
7	लाडपुरा	आलनियां दांयी मुख्य नहर की बडोदिया माईनर आर.डी. 5 चैन से 100 तक के मध्य	ग्राम पंचायत बडोदिया पं.सं. लाडपुरा	3.42	41/ 19–20
8	लाडपुरा	आलनियां दांयी मुख्य नहर आर.डी. 0 चैन से 110 तक के मध्य	ग्राम पंचायत दीपपुरा पं.सं. लाडपुरा	3.96	43/19–20
9	लाडपुरा	आलनिया बांयी मुख्य नहर आर.डी. 10 चैन से 130 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा पं. सं. लाडपुरा	4.32	48/19–20
10	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर की किशनपुरा ब्रांच आर.डी. 0 चैन से 245 तक के मध्य	ग्राम पंचायत गन्दीफली पं.सं. लाडपुरा	8.82	47/19–20
11	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर आर.ऊी. 50 चैन से 150 तक के मध्य	ग्राम पंचायत मवासा प. सं. लाडपुरा	1.80	52/19–20
12	लाडपुरा	आलनिया दांयी मुख्य नहर आर.डी. 350 चैन से 560 तक के मध्य	ग्राम पंचायत बनियानी पं.सं. लाडपुरा	7.56	49/19–20
13	लाडपुरा	आलनिया डेम एप्रोच रोड	ग्राम पंचायत आलनिया पं0सं0 लाडपुरा	2.10	42/19–20

C:\Users\relief\Desktop\ROAD REPAIR 2019\Road repair 2019 FS.doc

Scanned with CamScanner

14	लाडपुरा	आलनिया डेग एम्बेकमेंट	ग्राम पंचायत आलनिया पं.सं. लाडपुरा	1.00	51/19-20
		योग		50.70	

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावें :–

1. प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं की मरम्मत केवल उन्ही की जावे, जिन परियोजनाओं की क्षति बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ से हुई है जिससे सामन्य जन–जीवन को बाधित होने से परियोजनाओं की तात्कालिक मरम्मत करवाया जाना आवश्यक है।
2. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंषा की है ।
3. कार्यकारी ऐजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PWD & AR के अनुसार मान्य होगी ।
4. विभाग द्वारा प्रति स्कीम दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना उन दरो से अधिक राशि का उपयोग परियोजनाओं की मरम्मत पर न करें।
5. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
6. प्रस्तावों में उन्ही परियोजनाओं की मरम्मत करवाई जावे जो मरम्मत कार्य द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
7. वे परियोजनाऐं जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।
8. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
9. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय मे बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष मे भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें । अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित ऐजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
10. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरांत ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
11. कार्यकारी ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त परियोजनाओं की मरम्मत एवं पुर्नरूद्वार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 6182 दिनांक 08.08.2019 द्वारा गणना की जावे।
12. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
13. स्वीकृति मे दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा मे ही किया जावे । उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
14. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
15. उक्त स्वीकृति के विरूद्व क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के केवल रिपेयर एवम् रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे, नया निर्माण कार्य नही करवाया जावे ।
16. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिर्पोट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदडों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है । तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
17. राशि का व्यय सामान्य वित्तीय लेखा नियमों S.D.R.F के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
18. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्यम कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक 06-02-2020

क्रमांक/सहायता/बाढ/2019/ 320-26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय कोटा संभाग कोटा
3. अधीक्षण अभियन्ता चम्बल परियोजना कोटा कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी कोटा/तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
5. अधिशाषी अभियन्ता, चम्बल परियोजना खण्ड कोटा

जिला कलक्टर,
कोटा

C:\Users\relief\Desktop\ROAD REPAIR 2019\Road repair 2019 FS.doc

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) कोटा

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी0डी0एम0ए0) की बैठक दिनांक 01.10.2019 कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 01.10.2019 को समय 10.30 बजे पर जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिले में प्राकृतिक आपदाओं से जिले में आमजन के बचाव के सुरक्षात्मक उपाय, आश्रय स्थलों, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, मानसून वर्ष 2019 क`दौरान बाए/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत एसडीआरएफ मद से कराने हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन एवं फसल रबी ओलावृष्टि से प्रभावित कृषको को भुगतान की गई कृषि आदान अनुदान तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण(डीडीएमए) कोटा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । जिसमें संलग्न सूची अनुसार अधिकारीगण उपस्थित हुये:—

सर्व प्रथम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) कोटा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियो का स्वागत किया गया एवं अवगत कराया कि प्राकृतिक आपदाओं से आमजन के बचाव के सुरक्षात्मक उपाय, आश्रय स्थलो की व्यवस्था, मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपाय, शुद्ध जल व्यवस्था मानसून वर्ष 2019 के दौरान बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत एस0.डी0आर.एफ. मद से कराने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन एवं फसल रबी ,ओलावृष्टि से प्रभावित कृषको को भुगतान की गई कृषि आदान अनुदान राशि का हिसाब तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र.के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया । जिला कलक्टर महोदय द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों को निम्न निर्देश प्रदान किये :—

1— आश्रय स्थल की व्यवस्था :—

कोटा शहर एवं जिले में आश्रय स्थलो की पर्याप्त व्यवस्था नगर निगम/स्थानीय निकाये द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये। वर्तमान में संचालित आश्रय स्थलो पर समस्त आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावे।

2—मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपाय:—

मौसमी बीमारियों की रोकथाम व बचाव एवं चिकित्सालयों में पीडितो के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करे। मलेरियॉ व मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्थायें की जावे।

3— पेयजल व्यवस्था :—

जिले में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की जलापूर्ति सुनिश्चित की जावे। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि 4 में से 3 पम्नप वर्तमान में कार्यरत है व 2 में पानी सप्लाई वर्तमान में चालू है।

4—सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मतत के प्रस्तावों पर विचार:—

मानसून 2019 के दौरान अतिवृष्टि /बाढ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की एस0डी0आर0एफ0 मद से मरम्मत कराने हेतु प्राप्त निम्नांकित प्रस्तावों का आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में रखा गया: ——

Scanned with CamScanner

क0स0	विभाग	सार्वजनिक सम्पत्तिया	राशि (लाखों में)
1	अधिशाषी अभियन्ता चम्बल परियोजना कोटा	आलनिया मध्यम सिचाई परियोजना लाडपुरा	38.34
	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा	चन्द्रावला एनीकट,अतरालियॉ वगैरा एनिकट जीर्णोद्धार 35.00–544.58	579.58
2	अधिशाषी अभियन्ता चम्बल परियोजना कोटा	आलनिया मध्यम सिचाई परियोजना लाडपुरा	15.36
3	नगर विकास न्यास कोटा	सडके –77	263.37
4	अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड ईटावा	क्षतिग्रस्त सडके 02 पुलिया 09′	14.59
5	अधि0अभियन्ता सा0नि0वि0 रां0मण्डी	क्षतिग्रस्त राजकीय भवन /आवास कुल 11	12.00
6	अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी डिविजन II सकतपुरा कोटा	1–आरसीसी पेडेस्टल 4 पम्प डेमेज 1300 एमएमपाईज 2–1300 एमएमएस पाईप लाईन क्षतिग्रस्त	60.00 5.00
7	अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी डिविजन नगर खण्ड कोटा	पेयजल टेंकर	7.75

क्रम संख्या 1 से 5 विभागो से प्राप्त प्रस्तावों का बैठक में सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया । क्रम संख्या 6 पर अंकित अधिशाषी अभियन्ता पीएचईडी डिवि0 II सकतपुरा कोटा रूपये 65.00 लाख के प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाकर भिजवाने के निर्देश दिये गये तथा क्रम 7 पर अंकित अधि0अभियन्ता पीएचईडी नगर खण्ड कोटा द्वारा प्रस्तुत टेंकरों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपर्ति के बिल प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी कोटा को निर्देश दिये गये कि मौसमी बीमारियों को मध्यनजर रखते हुए समस्त उपाये किये जावे। पानी भरे गढ्ढो में जला हुआ तेल डाला जावे। Antilarva activity व fogging नियमित रूप से करवाई जावे। पशुपालन विभाग को निर्देश दिये गये कि पशुओ में हुई बीमारी का ध्यान रखा जावे

जन स्वा0 अभियान्त्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि कोटा शहर में हो रही गन्दे पानी की सप्लाई को चेक कराया जावे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुचारू रखी जावे। पेयजल के साथ यदि पाईपलाईनों में कही लिकेज आदि हो तो उनको तत्काल ठीक कराये जावे।

नगर विकास न्यास कोटा/नगर निगम कोटा को शीघ्र सडको की मरम्मत करने के निर्देश दिये गये है।

कृषि विभाग के आये प्रतिनिधी को निर्देश दिये गये फसलो में हुये नुकसान व होने वाली बीमारियों के बारे में पूर्ण जानकारी का प्रचार प्रसार किया जावे एवं आवश्यक दवाईयॉ/सामग्री उपलब्ध कराये। विभाग के द्वारा जारी पम्पलेट सभी तहसीलों को भिजवाये जावे व किसानों में प्रचार प्रसार कराया जावे।

Scanned with CamScanner

सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उप निदेशक कृषि विभाग द्वारा जारी प्रपत्र में सम्बन्धित गिरदावरों /पटवारियों से आराजी का सर्वे कराया जावे , किस किस खेत पर कितनी कितनी फसल बोई थी, अतिवृष्टि से कितना खराबा हुआ है, का मौके पर जॉच की जावे व खराबें का पूर्ण आंकलर कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

बेठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि बाढ आपदा से हुये नुकसान की सूचना नोर्म्स के अनुसार प्रस्तुत करें । सभी को यह भी निर्देश दिये गये कि गिरदावरी कार्य करवाकर /फसलो में हुये खराबा का ऑकलन कर सूचना तत्काल प्रस्तुत की जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई

अति0 जिला कलक्टर
कोटा

प्रतिलिपी सहायता/2019/मीटिंग/ 1820 दिनांक 10/10/2019

प्रतिलिपी:–

1– जिला पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण कोटा
2– कमाण्डेन्ट आर0ए0सी0 बटालियन कोटा
3– अति0 जिला कलक्टर प्रशासन/नगर कोटा
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
5– आयुक्त नगर निगम कोटा
6– सचिव नगर विकास न्यास कोटा
7– जिला रसद अधिकारी कोटा /जिला परिवहन अधिकारी कोटा
8– उपखण्ड अधिकारी कोटा/दीगोद/सॉगोद/कनवास/ईटावा/रामगंजमण्डी
9– तहसीलदार लाडपुरा/दीगोद/सॉगोद/कनवास/रामगंजमण्डी/पीपल्दा
10– मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी कोटा
11– सयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग कोटा
12– उप निदेशक कृषि विस्तार कोटा
13– परियोजना प्रबन्धक सी0ए0डी0कोटा
14– अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0.कोटा /रामगंजमण्डी
15– अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड सॉगोद/ईटावा/रामगंमण्डी
16– उपनियन्त्रक नागरिकसुरक्षा कोटा
17– ....
18' अति0 निजी सचिव जिला कलक्टर कोटा

अति0 ज़िला कलक्टर
कोटा

Scanned with CamScanner